



वशिव वन्यजीव दविस

प्रलिमिस के लयि:

वशिव वन्यजीव दविस, लुप्तप्राय प्रजातयिों के अंतर्राष्टरीय वयापार पर कन्वेंशन, सतत् विकास लक्ष्य, वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972; पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986; जैव वविधिता अधनियिम, 2002

मेन्स के लयि:

वन्यजीव संरक्षण का महत्त्व, वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा

चर्चा में क्योँ?

वर्ष 2013 से प्रतविरष 3 मार्च को 'वशिव वन्यजीव दविस' का आयोजन कयिा जाता है।

- गौरतलब है कि इसी तथि पर वर्ष 1973 में वन्यजीवों एवं वनस्पतयिों की [लुप्तप्राय प्रजातयिों के अंतर्राष्टरीय वयापार पर कन्वेंशन](#) (CITES) को अंगीकृत कयिा गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव दवारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्यजीवों हेतु इस वशिष दनि का वैश्वकि पालन सुनश्चिति करने हेतु CITES सचविलय दवारा नरिदेशति कयिा जाता है।

वर्ष 2022 का थीम:

- थीम:** पारसिथतिकि तंतर की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातयिों की पुनरुबहाली।
- इस वशिष को वन्यजीवों और वनस्पतयिों की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातयिों में से कुछ के संरक्षण की स्थति पर ध्यान आकर्षति करने के तरीके के रूप में चुना गया है।

इस दविस का महत्त्व:

- यह संयुक्त राष्ट्र [सतत् विकास लक्ष्योँ](#)- 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखति है तथा गरीबी को कम करने, संसाधनों का सतत् उपयोग सुनश्चिति करने एवं जैव वविधिता के नुकसान को रोकने के लयि भूमि पर एवं जल के नीचे जीवन के संरक्षण को लेकर उनकी व्यापक प्रतबिद्धताओं के साथ भी संरेखति है।
- हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतयिों का सामना कर रहा है, जो कि जैव वविधिता का नुकसान पहुँचाती हैं और इसके कारण आने वाले दशकों में एक लाख प्रजातयिों लुप्त हो सकती हैं।

जीवों और वनस्पतयिों की प्रजातयिों की मौजूदा स्थति:

- वन्यजीवों एवं वनस्पतयिों की लगभग 8000 से अधिक प्रजातयिों लुप्तप्राय हैं और 30,000 से अधिक प्रजातयिों वल्लिप्त होने के कगार पर हैं।
- यह भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग एक लाख प्रजातयिों वल्लिप्त हो चुकी हैं।
- भारत में सभी दर्ज प्रजातयिों का 7-8% हसिा है, जसिमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातयिों और जानवरों की 91,000 प्रजातयिों शामिल हैं।
- भारत दुनिया के सबसे जैव वविधिता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ तीन जैव वविधिता हॉटस्पॉट हैं- पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट।
- देश में 7 प्राकृतिक वशिष धरोहर स्थल, 11 बायोस्फीयर रज़िर्व और 49 [रामसर स्थल](#) हैं।
- भारत में कई वन्यजीव संरक्षण पार्क और अभयारण्य हैं, जनिमें उत्तराखंड में [जमि कॉरबेट नेशनल पार्क](#), राजस्थान में [रणथंभौर नेशनल पार्क](#), गुजरात में [गरि नेशनल पार्क](#), कर्नाटक में बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, केरल में [पेरयार नेशनल पार्क](#), लद्दाख में हेमसि नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में [ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क](#) आदि शामिल हैं।
- प्रजातयिों के वल्लिप्त होने में मानव गतिविधियिों के साथ-साथ मुख्य कारकों में शामिल हैं- शहरीकरण के कारण नविस स्थान का नुकसान, अतशिषण,

प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरित करना, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि।

- **अवैध वन्यजीव** व्यापार के कारण पौधों और जंगली जानवरों की आबादी को भी नुकसान पहुँच रहा है तथा लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है। इसके कई सार्वजनिक स्वास्थ्य परणाम भी हो सकते हैं जैसे कि ज़ूनोटिक रोगजनकों का प्रसार।

Diminishing funds for wildlife conservation schemes

47% decrease in funds released under the Development of Wildlife Habitat (implemented in 34 states/UTs)

2018-19 ₹165cr 2019-20 ₹124.5cr 2020-21 ₹87.6cr




40% decrease in funds released under the Project Tiger (implemented in 19 states with tiger ranges)

2018-19 ₹323.2cr 2019-20 ₹281.8cr 2020-21 ₹194.5cr



16% decrease in funds released under the Project Elephant (implemented in 22 states)

2018-19 ₹29.1cr 2019-20 ₹28cr 2020-21 ₹24.5cr



वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा:

■ वन्यजीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संवैधानिक अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों** के तहत **अनुच्छेद 48 ए** में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

■ कानूनी ढाँचा:

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002**

■ वैश्विक वन्यजीव संरक्षण पर्याप्तों में भारत का सहयोग:

- **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)**
- **वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)**
- **जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)**
- **वशिव वरिसत्त अभिसमय**
- **रामसर अभिसमय**
- **वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क (TRAFFIC)**
- **वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF)**
- **अंतरराष्ट्रीय वहेलिंग आयोग (IWC)**
- **अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (IUCN)**
- **ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)**

वर्षों के प्रश्न

जैव-विविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से कसि एक की स्थापना करने में नहिति है? (2014)

- जीवमंडल नचिय (रज़िरव)
- वानस्पतिक उद्यान
- राष्ट्रीय उपवन
- वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (A)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-wildlife-day-1>

